[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख :.................... 2016

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एवं वरिष्ठ उत्कीर्णक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ उत्कीर्णक एवं वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ उत्कीर्णक एवं वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ उत्कीर्णक	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6, 35400-112400 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उत्कीर्णन प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री, अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में डिग्री। और एसोशिएसन ऑफ कार्डियो थोरेसिक सर्जन्स ऑफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त उत्कीर्णन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा 2. किसी सक्रिय कार्डिएक सेंटर में काम करने का एक वर्ष का अनुभव जहां प्रतिवर्ष कम-से-कम 200 कार्डिएक प्रोसीजर निष्पादित किए जाते हों टिप्पण-1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण -2 अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड 1, 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, - सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	01* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है I	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 7 (44900-112400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सामासिक पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)-सह- पदोन्नति]

प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा |
(11)
सामासिक पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)-सह- पदोन्नति]: प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त शोध संस्थानों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं या (ii) जिन्होंने स्तर 6, 35400-112400 में दो वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उत्कीर्णन प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री, अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विज्ञान या उत्कीर्णन प्रौद्योगिकी में डिग्री। और एसोशिएसन ऑफ कार्डियो थोरेसिक सर्जन्स ऑफ इंडिया द्वारा मान्यताप्राप्त उत्कीर्णन प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (ख) किसी सक्रिय कार्डिएक सेंटर में काम करने का दो वर्ष का अनुभव जहां प्रतिवर्ष कम-से-कम 200 कार्डिएक प्रोसीजर निष्पादित की जाती हों स्तर 6, 35400-112400 में ऐसे विभागीय वरिष्ठ उत्कीर्णक, जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, पर भी अन्य आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा और इस पद पर उनके चयनित हो जाने पर पद को पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले अथवा उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[ए.12018/27/2000-एमएच-II]

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार मुद्रणालय,
बाहरी रिंग रोड, मायापुरी